

समाहरणालय, बक्सर  
(जिला प्रोग्राम कार्यालय)  
आई0सी0डी0एस0



E-mail ID- dpo.bux@gmail.com  
Mobile No—9431005024

## आदेश

निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS) निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक 2621, दिनांक 17.05.2019 द्वारा प्राप्त निदेशानुरूप राष्ट्रीय पोषण मिशन (पोषण अभियान) अन्तर्गत जिला/परियोजना स्तर पर अनुबंध के आधार पर जिला परियोजना सहायक के नियोजन हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में उक्त पदों पर संविदा पर नियोजन हेतु विभागीय स्तर से प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में ऑन-लाईन प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर अभ्यर्थियों के चयन हेतु दिनांक 06.07.2019 को साक्षात्कार हेतु बैठक आयोजित की गई।

दिनांक 06.07.2019 को आयोजित साक्षात्कार की कार्यवाही ज्ञापांक 707, दिनांक 26.08.2019 के माध्यम से जिला परियोजना सहायक के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु चयनित अभ्यर्थी को निम्नांकित शर्तों के साथ नियोजित किया जाता है, जिनका नाम एवं पता निम्नवत् है :-

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	निबंधन संख्या	चयनित पद का नाम	नियोजित आरक्षण बिन्दु	पदस्थापित कार्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सुश्री शिवांगी, पिता डा0 नागेन्द्र चौबे, मु0 काली स्थान, बुधनपुरवां, बक्सर, थाना+ जिला-बक्सर, मो0 नं0 9097529663	101906064520	जिला परियोजना सहायक	सामान्य (एकल पद)	जिला प्रोग्राम कार्यालय, बक्सर

### शर्तें :-

- कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर बिना सूचना के संविदा समाप्त कर दी जायेगी।
- जिला परियोजना सहायक के पद पर नियोजित अभ्यर्थी को प्रतिमाह 18,000/- की दर से मानदेय देय होगा।
- यह नियोजन पूर्णतः संविदा आधारित एवं अस्थायी है, जो बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है। इसके लिए नियमित नियुक्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा। नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों को अनुमान्य सुविधा के हकदार होंगे। इनका नियोजन NNM के अधीन होगा।
- नियोजित अभ्यर्थियों को मानदेय का भुगतान उनके प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के पश्चात देय होगा। सत्यापन के क्रम में यदि उनका प्रमाण-पत्र गलत पाया जाता है तो उनके विरुद्ध दण्डानात्मक कार्रवाई की जायेगी।
- नियोजित अभ्यर्थियों को योगदान हेतु कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।

6. यदि पत्र प्राप्ति के दस दिनों के अंदर अपना योगदान नहीं देते हैं तो उनका संविदा समाप्त करते हुए प्रतीक्षा सूची के अन्य अभ्यर्थी का नियोजन किया जायेगा।
7. असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, शादी में दहेज न लेने-देने का तथा शराब का सेवन न करने का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

३०

जिला पदाधिकारी,  
बक्सर।

ज्ञापांक 737 /बक्सर,दिनांक 03 / 09 /2019


प्रतिलिपि :- निदेशक, (ICDS) निदेशालय, बिहार, पटना

-----  
उप विकास आयुक्त, बक्सर

-----  
वरीय कोषागार पदाधिकारी, बक्सर

-----  
आई0टी0 मैनेजर, समाहरणालय, बक्सर

-----  
संबंधित अभ्यर्थी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
जिला पदाधिकारी,  
बक्सर।